कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्याः– 2984 / 33–3, बरेली दिनॉक 31 / 03 / 2023.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग
शाहजहॉपुर।

विषय– वन दरोगा श्रीकृष्ण यादव द्वारा भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में श्री रामचन्द्र पुत्र श्री चुरई लाल निवासी– ग्राम पंडरिया, पोस्ट कढेर चौरा थाना व तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत का शिकायती पत्र, जो इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसकी छाया प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप शिकायतकर्ता के उक्त शिकायती पत्र को संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार जॉच कर जॉच आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

(विजय सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय–वन दरोगा श्रीकृष्ण यादव द्वारा भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि जिला शाहजहॉपुर के अन्तर्गत खुटार रेंज में वीट मंडनपुर गोपालपुर में तैनात वन दरोगा श्रीकृष्ण यादव द्वारा सरकारी सम्पत्ति का भारी नुकसान किया जा रहा है। वन दरोगा श्रीकृष्ण यादव करीब 2 वर्ष पूर्व इस चौकी पर तैनात हुये हैं, तब से जंगल का कटान खुलेआम कराकर लकड़ी की बिक्री कर देते हैं तथा अपने घर एवं रिश्तेदारो को भी भेजते रहते हैं, जिससे जंगल के पेड़ो का भारी मात्रा में कटान कराते हैं, जिससे सरकारी क्षति होती है। इनके द्वारा कराये गये वृक्षारोपण में भारी लापरवाही की जाती है और उच्चाधिकारियों को गलत सूचना देते हैं। वृक्षारोपण के पेड़ों का अनुपात 95 प्रतिशत वृक्ष जीवित हैं, जबकि स्थलीय पर वृक्ष 10 से 15 प्रतिशत ही जीवित वृक्ष मौजूद हैं। जबकि वृक्षारोपण एवं देखभाल हेतु रेंज आफीसर भरपूर धनराशि देते हैं। दी गयी धनराशि को समुचित मात्रा में खर्च न करके निजी स्वार्थ में खर्च कर लेते हैं। मौके पर वृक्षारोपण स्थल पर कई हजार गड्ढे खाली पड़े हुये हैं। वन दरोगा श्रीकृष्ण यादव द्वारा सागौन की कटिंग नये थैले के स्थान पर पुराने थैले में लगवा दी तथा लक्ष्य एवं मानक के हिसाब से पूर्ण रूप से पर्याप्त पौध नही है। इनकी तैनाती से पूर्व जो वन रक्षक द्वारा अवैध रूप से कटान की लकडी पकड़ी गयी थी, जिसका स्टाक मंडनपुर चौकी पर था, उसको भी अवैध तरीके से बेच दिया गया है। इनके अवैध कार्यों की कोई शिकायत करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर देते हैं। इनके द्वारा दिनांक 12.03.2013 को चौकी के पास ही पेड़ों का कटान कराया गया था, जिसकी शिकायत पीपुल फार एनीमल्स संस्था के देवेन्द्र शर्मा द्वारा उच्चाधिकारियों को की गयी, तभी वन दरोगा श्रीकृष्ण यादव ने अपने बचाव में वाचर प्रमोद कुमार के विरुद्ध केस करा दिया, जबकि इस तिथि को वाचर प्रमोद कुमार अवकाश पर थे, इसी का फायदा

P/A

2013

क्रमशः 2 पर.......

रामचन्द्र

उठाकर अपने निजी हित के लिये चौकी के पास ही पेड़ो का कटान करवाते हुये मौके पर पाये गये थे तथा कटान क्षेत्र में कुंभिंग कराया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने भी कई बार वन दरोगा श्रीकृष्ण यादव के विरुद्ध उच्चाधिकारियों को शिकायत की थी। उक्त वन दरोगा श्रीकृष्ण यादव के भ्रष्टाचार किये जाने की जॉच किसी अन्य उच्चाधिकारियों से कराया जाना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि वन दरोगा श्रीकृष्ण यादव के द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के बावत आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें तथा श्रीकृष्ण यादव द्वारा सरकारी को पहुंचायी गयी क्षति की रिकवरी कराने की कृपा करें।

आपकी महान कृपा होगी।

दिनांक :– 28.3.2023   प्रार्थी रामचन्द्र

रामचन्द्र

रामचन्द्र पुत्र श्री चुरई लाल
निवासी ग्राम पंडरिया, पोस्ट कढ़ेर चौरा
थाना व तह0 पूरनपुर, जिला–पीलीभीत।
मो0नं0–7409509206

<u>प्रतिलिपि–आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1– श्रीमान वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक महोदय, सीबीगंज, बरेली वृत्त, बरेली।
2– श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहॉपुर।
3– श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, शाहजहॉपुर।
4– श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहॉपुर/पीलीभीत।